रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

## असाधारण
## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जुलाई 14, 1983/आषाढ़ 23, 1905
No. 26] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 14, 1983/ASADHA 30, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

### रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1983

**का० नि० आ० 61(ई)**—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 37-ई तारीख 22 दिसम्बर, 1981 द्वारा यह घोषणा की थी कि खिड़की छावनी के प्रशासन के लिए छावनी बोर्ड, खिड़की के संविधान को परिवर्तित करना वांछनीय है;

और केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 1-ई तारीख 31 दिसम्बर, 1982 द्वारा उक्त बोर्ड के कार्यकाल को और आगे 6 माह की अवधि के लिए अर्थात् तारीख 6 जुलाई, 1983 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित था बढ़ा दिया था;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि खिड़की छावनी के प्रशासन के लिए उक्त बोर्ड के कार्यकाल को और आगे 6 माह की अवधि के लिए बढ़ाना वांछनीय है;

अतः अब छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त बोर्ड के कार्यकाल को, और आगे 6 माह की अवधि के लिए तारीख 6 जनवरी 1984 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित हैं अथवा उक्त अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत बोर्ड के गठन तक के लिए इनमें से जो भी पहले हो बढ़ाती है।

[फाइल संख्या-29/35/सी/भू० व छा०/77/4205-सी/डी (क्यू० एण्ड० सी०)]

### MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 14th July, 1983

**SRO 61(E).**—Whereas the Central Government, by the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 37-E dated the 22nd December, 1981 had declared that for the administration of the Kirkee Cantonment, it was desirable to vary the constitution of the Cantonment Board, Kirkee;

And whereas the Central Government, by the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 1-E dated the 31st December, 1982 had extended the term of office of the said Board by a further period of six months, up to and inclusive of the 6th July, 1983;

And whereas the Central Government is satisfied that, for the administration of the Cantonment, Kirkee, it is desirable to extend the term of office of the said Board by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (4) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby extends the term of office of the said Board by a further period of six months, up to and inclusive of 6th January, 1984 or till a Board is constituted under section 13 of the said Act, whichever is earlier.

[F. No. 29|35|C|L&C|77/4205-C/D(Q&C)]

का० नि० आ० 62(ई)—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (3) के अनुसरण में जिसे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 61-ई दिनांक 14 जुलाई, 1983 के साथ जो कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 14 जुलाई 1983 के भाग-2 खण्ड-4 में प्रकाशित हुआ था, पढ़ा जाए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित दो व्यक्तियों को स्टेशन के आफिसर कमांडिंग स्टेशन द्वारा छावनी बोर्ड खिड़की के सदस्य के रूप में 7 जुलाई, 1983 से मनोनीत किया गया है :—

1. ब्रिगेडियर एम० शरीफ — धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत नामांकित
2. श्री बी० बी० सावन्त — धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत नामांकित

[फाइल संख्या-29/35/सी/भू० व छा०/77/4205-सी/डी(क्यू० एण्ड० सी०)]

**S.R.O. 62(E).**—In pursuance of sub-section (3) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 61-E dated the 14th July, 1983, published in the Government of India, Extraordinary Gazette, Part II Section 4, dated the 14th July, 1983, the Central Government hereby notifies that the following two persons have been nominated by the Officer Commanding the Station to be the members of the Cantonment Board, Kirkee with effect from 7th July, 1983 :—

1. Brig. M. Sharifnominated under clause (b) of sub-section (2) of section 14.
2. Shri B. B. Sawant nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 14.

[F. No. 29|35|C|L&C|77/4205/1-C|C(Q&C]

का० नि० आ० 63(ई)—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० नि० आ० 2-ई, तारीख 7 जनवरी, 1982 द्वारा यह घोषणा की थी कि मऊ छावनी के प्रशासन के लिए छावनी बोर्ड मऊ के संविधान को परिवर्तित करना वांछनीय है;

और केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 3-ई, तारीख 6 जनवरी, 1983 द्वारा उक्त बोर्ड के कार्यकाल को और आगे 6 माह की अवधि के लिए अर्थात् तारीख 6 जुलाई 1983 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित था बढ़ा दिया था;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि मऊ छावनी के प्रशासन के लिए उक्त बोर्ड के कार्यकाल को और आगे 6 माह की अवधि के लिए बढ़ाना वांछनीय है;

अतः अब छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (4) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त बोर्ड के कार्यकाल को, और आगे 6 माह की अवधि के लिए तारीख 6 जनवरी, 1984 तक जिसमें वह दिन भी सम्मिलित हैं, अथवा उक्त अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत बोर्ड के गठन तक के लिए इनमें से जो भी पहले हो बढ़ाती है।

[फाइल संख्या-29/32/सी/भू० व छा०/77/4204-सी/डी (क्यू० एण्ड० सी०)]

**S.R.O. 63(E).**—Whereas the Central Government by the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 2-E dated the 7th January, 1982 had declared that for the administration of the Mhow Cantonment, it was disirable to vary the constitution of the Cantonment Board, Mhow;

And whereas the Central Government, by the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 3-E dated the 6th January, 1983 had extended the term of office of the said Board by a further period of six months up to and inclusive of the 6th July, 1983;

And whereas the Central Government is satisfied that, or the administartion of the Cantonment, Mhow, it is desirable to extend the term of office of the said Board by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (4) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby extends the term of office of the said Board by a further period of six months, up to and inclusive of 6th January, 1984 or till a Board is constituted under section 13 of the said Act, whichever is earlier.

[F. No. 29|32|C|L&C|77|4204-C|D(O&C)]

का० नि० आ० 65(ई)—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (3) के अनुसरण में जिसे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय अधिसूचना

संख्या का० नि० आ० 63-ई, दिनांक 14 जुलाई, 1983 के साथ जो कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 14 जुलाई, 1983 के भाग-2, खंड-4 में प्रकाशित हुआ था, पढ़ा जाए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित दो व्यक्तियों को स्टेशन के आफिसर कमांडिंग स्टेशन द्वारा छावनी बोर्ड मऊ के सदस्य के रूप में 7 जुलाई 1983 से मनोनीत किया गया है :—

1. ले० कर्नल एस० सी० ग्रोवर — धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत नामांकित
2. श्री आर० सी० महेश्वरी — धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत नामांकित

[फाइल संख्या-29/32/सी/भू० व छा०/77/4204/1-सी/डी (क्यू० एण्ड सी०)]

के० श्री निवासन, संयुक्त सचिव

**S.R.O. 64(E).**—In pursuance of sub-section (3) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 63-E dated the 14th July, 1983, published in the Government of India, Extraordinary Gazette, Part II Section 4, dated the 14th July, 1983, the Central Government hereby notifies that the following two persons have been nominated by the Officer Commanding the Station to be the members of he Cantonment Board, Mhow with effect from 7th July, 1983 :—

1. Lt. Col. S. C. Grover nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 14.
2. Shri R. C. Maheshwari nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 14.

[F. No. 29|32|C|L&C|77|4204|1-C/D(Q&C)]

K. SRINIVASAN, Jt. Secy.

## अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1983

**का० नि० आ० 65(ई)**—सशस्त्र सेना (आपात ड्यूटियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 15वां) के खण्ड 2 के उपखण्ड (1) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की 15 जून 1983 की अधिसूचना का० नि० आ० सं० 53-ई के क्रम में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा असम राज्य में दूरभाष सेवाओं के संचालन और उन्हें बनाए रखने के संबंधित सभी सेवाओं को समाज के लिए 16 जुलाई, 1983 से एक महीने की और अवधि के लिए अति महत्वपूर्ण सेवाएं घोषित करती है।

[फा० सं० 2 (112)/80/डी (जी० एस-1)]

## NOTIFICATIONS

New Delhi, the 14th July, 1983

**S.R.O. 65(E).**—In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. No. 53-E dated the 15th June, 1983, the Central Government hereby declares all services connected with the operation and maintenance of telephone services in the State of Assam to be services of vital importance to the community for a further period of one month with effect from 16th July, 1983.

[F. No. 2(112|80|D(GS-I)]

**का० नि० आ० 66(ई)**—सशस्त्र सेना (आपात ड्यूटियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 15वां) की धारा 2 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की दिनांक 15 जून 1983 को अधिसूचना का० नि० आ० सं० 54 ई के अनुक्रम में केन्द्र रकार एतद्द्वारा असम राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और संभरण तथा पाइप लाइनों और तेल प्रतिष्ठानों को चलाने और उनके अनुरक्षण से संबंधित प्रत्येक सेवा को 18 जुलाई 1983 से एक महीने की और अवधि के लिए समाज के लिए अत्यधिक महत्व की सेवा घोषित करती है।

[फा० सं० 2 (35)/80/डी (जी एस-1)]

के० ए० नम्बियार, संयुक्त सचिव

**S.R.O. 66(E).**—In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. No. 54-E dated the 15th June, 1983, the Central Government hereby declares every service forming part of, or connected with, the production and supply of petroleum products and running and maintenance of oil installations and pipelines in Assam to be a service of vital importance to the community for a further period of one month with effect from 18th July, 1983.

[F. No. 2(35)|80|D(GS-I)]

K. A. NAMBIAR, Jt. Secy.(G)